30/5/19 वकील पक्षकारान उपस्थित। जवाब प्रा० पत्र पेश
पुनः समय चाहे। अतः अंतिम अवसर दिया
जाता है। पत्रावली पहले जवाब प्रा० पत्र दिनांक
23/8/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

26.8.19 दिनांक 23.8.19 को प्रकरण होने से पक्षकार श्री गणपत सिंह
वगैरह आवेदक प्रार्थी को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं। प्रा० पत्र को नोट टेस्ट किया जाता
है। प्रा० पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बस्ते के अन्दर हो तथा
बाद नकमील कार्यवाही बाबत आदेश
हस्ता हो निर्णय दिनांक 26.8.19 को सुने
जाने में सुनाया जाए।

Now Process

26.8.19

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner